बिहार सरकार
बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण
(योजना एवं विकास विभाग)

आ०सं०– ब्लाडा(लेखा)–2/05/2018 47 /पटना, दिनांक– 04 फरवरी, 2019

आदेश

बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण आदेश संख्या–36 दिनांक 30.01.2019 एवं 40–41 दिनांक 31.01.2019 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत माननीय विधान मंडल सदस्यों की अनुशंसा पर स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को उनके पदनाम के सम्मुख अंकित राशि निम्न विवरणी के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक, बुद्धा कॉलानी, पटना द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवंटित किया जाता है:–

(राशि रू0 लाख में)

क्रम	कार्यप्रमंडल का नाम	सामान्य मद	SCP की राशि	ST की राशि	कुल आवंटित राशि	बैंक ड्राफ्ट सं0	दिनांक	वित्तीय वर्ष/योजना का नाम जिसके लिए राशि उपलब्ध करायी जा रही है।
1	2					7	8	9
1	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल–2, पकड़ीदयाल।	871.36719	195.81578	12.81703	1080.00	238837	31-01-2019	2018-2019
2.	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल–2, नवगछिया।	120.00	0.00	0.00	120.00	238838	31-01-2019	2017-2018
3.	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल–1, दरभंगा।	76.95	0.00	0.00	76.95	238839	31-01-2019	2016-2017
		364.3288	46.6176	2.9136	413.86	238839	31-01-2019	2017-2018
	कुल योग–	1432.64599	242.43338	15.73063	1690.81			

शर्तें:–

(1) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष जिसके लिए राशि उपलब्ध करायी जा रही है उसी वित्तीय वर्ष क स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन पर ही स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के उक्त सभी कार्य प्रमंडलों के कार्यपालक अभियं आवंटित राशि का व्यय करना सुनिश्चित करेगें।

(2) इस आवंटित राशि का व्यय पूर्व के वर्षो में स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन पर नहीं करेंगे। यदि वर्ष 2011–12 13–14 तक के वित्तीय संपोषण हेतु प्राप्त राशि का व्यय वर्ष 2015–16 की योजनाओं पर किया गया है,तो उस राशि क समायोजन वर्ष 2015–16 की आवंटित राशि में से अवश्य कर लिया जाएगा।

(3) आवंटित राशि का विचलन करने की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के विरू आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(4) वित्तीय वर्ष की स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित संपूर्ण राशि का व्यय करते हुए सभी योजनाओं क वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेगें।

(5) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत् वर्ष 2011–12 से 2018–19 तक आवंटित राशि का वर्षवार उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रपत्र BTC-27C एवं 27C1 ,में तैयार कर बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण (ब्लाडा) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(6).उपर्युक्त विवरणी के अनुसार उपलब्ध करायी जा रही राशि का व्यय योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक–2637 दिनांक–04.06.2015 के द्वारा निर्गत दिशानिदेश के अनुसार माननीय विधान मण्डल सदस्यों की अनुमान्यता के आलोक में करना सुनिश्चित करेंगे।

(7). उक्त आवंटन अभिकरण आदेश 36 दिनांक 30.01.2019 एवं 40–41 दिनांक 31.01.2019 के आलोक में किया जा रहा है। अतः व्यय उक्त आदेश के अनुरूप ही किया जाय।

(8).वित्तीय वर्ष 2015–16 की योजनाओं के कार्यन्वयन पर पूर्व वर्ष की राशि का व्यय करने की स्थिति में इसका समायोजन इन दोनों वित्तीय वर्षो के लिए राशि उपलब्ध होने पर उससे करना सुनिश्चित करेंगे।

(9). आवंटित की जा रही राशि का व्यय कर उपयोगिता प्रमाण पत्र एक पक्ष के अंदर उपलब्ध कराई जाय।

(10) राशि अव्यवहृत रहने पर उक्त राशि चेक के माध्यम से ब्लाडा को वापस करेंगे।

(11) व्यय राशि का विधानमण्डल सदस्यवार प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की तीसरी तारीख तक ब्लाडा को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

(12) उपलब्ध करायी गयी राशि का 75 प्रतिशत से कम उपयोगिता प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अगला आवंटन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

(13) उक्त आवंटित राशि को नियमानुसार संबंधित कोषागार मे ही जमा किया जाना है।

(14) इस आवंटित राशि का व्यय प्रासंगिक वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियमावली में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए किया जाये।

31/01/19
(दीपक कुमार)
योजना सहायक

31.1.19
(दिवाकर प्रसाद मंडल)
उप महाप्रबंधक–सह–मुख्य लेखा पदाधिकारी (वित्त)

1.2.19
(प्रमोद कुमार वर्मा)
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब्लाडा(लेखा)–2/05/2018 47 / पटना, दिनांक–4 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि– संबंधित कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल–1 एवं 2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.2.19
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब्लाडा(लेखा)–2/05/2018 47 / पटना, दिनांक–4 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि– संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/ संबंधित जिला पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/ संबधित क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, बिहार/ संबंधित अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार/ संबंधित जिला योजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

1.2.19
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब्लाडा(लेखा)–2/05/2018 47 / पटना, दिनांक–4 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि–सचिव, के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

1.2.19
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब्लाडा(लेखा)–2/05/2018 47 / पटना, दिनांक–4 फरवरी, 2019

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

1.2.19
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी

ज्ञापांक– ब्लाडा(लेखा)–2/05/2018 47 / पटना, दिनांक–4 फरवरी, 2019

प्रतिलिपिः– उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग,बिहार, पटना/संबंधित सहायक, योजना शाखा, ब्लाडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।/श्री सुदामा कुमार,आई. टी. मैनेजर,योजना एवं विकास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1.2.19
मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी